भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4501

बुधवार, दिनांक 20 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-कुसुम के अंतर्गत लाभान्वित किसान

4501. श्री अरुण नेहरूः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने और किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) का क्रियान्वयन कर रही है और यदि हाँ, तो अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

(ख) देश में पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत कितने किसान और कृषि फीडर शामिल हैं;

(ग) पीएम-कुसुम ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल और ग्रिड बिजली पर निर्भरता को किस प्रकार कम करता है;

(घ) पीएम-कुसुम के अंतर्गत स्थापना हेतु किसानों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय और तकनीकि सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पीएम-कुसुम किसानों की आय, सतत कृषि और ऊर्जा आत्मनिर्भरता में किस प्रकार योगदान देता है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): सरकार द्वारा मार्च 2019 में पीएम-कुसुम योजना की शुरूआत कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने, दिन के समय सुनिश्चित सौर विद्युत उपलब्ध कराने और किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तीन घटक हैं:

(i) घटक 'क': किसानों द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना;

(ii) घटक 'ख': 14 लाख स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर कृषि पंपों की स्थापना; तथा

(iii) घटक 'ग': फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस) सहित 35 लाख मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण।

इस योजना में घटक ख और घटक ग के बीच मात्राओं का परस्पर अंतरण करने की अनुमति है।

एसआईए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, 10,000 मेगावाट की आवंटित क्षमता में से घटक क के तहत कुल 640.99 मेगावाट की स्थापना की गई है और घटक ख और ग के तहत, 49 लाख पंपों की आवंटित क्षमता में से कुल 15.08 लाख पंप स्थापित/सौरीकृत किए गए हैं।

(ग) पीएम कुसुम योजना स्टैण्ड-अलोन सौर पंपों की स्थापना द्वारा तथा फीडर स्तर सौरीकरण के साथ- साथ मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड पंपों के सौरीकरण से कृषि क्षेत्र को डीजल - मुक्त करने में सहायता करती है।

(घ) पीएम कुसुम के अंतर्गत प्रदान की जा रही केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ङ) पीएम: कुसुम किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। योजना के प्रमुख लाभ और सकारात्मक प्रभाव निम्नानुसार हैं:

- किसान अपनी भूमि पर 2 मेगावाट तक का ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकते हैं और अधिशेष (सरप्लस) विद्युत को डिस्कॉमों को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
- फीडर स्तर पर सौरीकरण की सहायता से यह योजना किसानों को दिन के समय सुनिश्चित विद्युत उपलब्ध कराती है और राज्य को कृषि के लिए मुफ्त/सब्सिडी युक्त बिजली उपलब्ध कराने के वित्तीय बोझ से राहत देती है।
- इस योजना में प्रति वर्ष 40 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने की व्यवस्था है।
- यह योजना कृषि के लिए सौर ऊर्जा की स्थापना करके सतत विकास को आगे बढ़ाने में योगदान देती है। यह योजना, कृषि उपयोग के लिए डीजल और अन्य अशुद्ध ईंधनों का स्थान लेकर, इस क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक है।

अनुलग्नक-I

'पीएम-कुसुम के अंतर्गत लाभान्वित किसान' के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4501 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

घटक	**उपलब्ध वित्तीय सहायता**
घटक क :	डिस्कॉम को 40 पैसे/किलोवाट घंटा या 6.60 लाख रुपये/मेगावाट/वर्ष, जो भी कम हो, की दर से पाँच वर्षों के लिए खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) प्रदान किया जाता है। इस घटक के अंतर्गत कोई सीएफए नहीं है।
घटक ख **घटक ग (व्यक्तिगत पंप सौरीकरण)**	• एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत का 30% या निविदा में प्राप्त प्रणालियों की कीमत, जो भी कम हो, के लिए सीएफए प्रदान किया जाता है। • तथापि, सिक्किम सहित उत्तर पूर्व राज्यों में, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी बेंचमार्क लागत का 50% या निविदा में प्राप्त प्रणालियों की कीमतें, जो भी कम हो, सीएफए प्रदान किया जाता है। • इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कम से कम 30% वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। शेष लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी। • घटक बी और घटक सी (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।
घटक ग (फीडर स्तर सौरीकरण)	कृषि फीडर सौरीकरण के लिए, प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ रुपये (उत्तर पूर्वी क्षेत्र/पहाड़ी/द्वीपीय क्षेत्रों के लिए 1.75 करोड़ रु. प्रति मेगावाट) का सीएफए प्रदान किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से वित्तीय सहायता की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। फीडर सौरीकरण को कैपेक्स या रेस्को मोड में कार्यान्वित किया जा सकता है।

*****